


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि - पत्र

पटना-15, दिनांक : 2 अप्रैल, 2018

संख्या-1/पी0-1003/2018-सा0प्र0-4272/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी0-1003/2018-सा0प्र0-4130 दिनांक-27.03.2018 की क्रम संख्या-9 में अंकित 'अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना' के स्थान पर 'अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. तदनुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



2.4.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1003/2018-सा0प्र0-4272/पटना-15, दिनांक: 2 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली /मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित सभी विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


2.4.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।